17

वयस्क मताधिकारः चुनाव प्रक्रिया तथा प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ

पिछले पाठ में संविधान की प्रस्तावना के संबंध में पढ़ते हुए आपने देखा होगा कि संविधान की प्रस्तावना में जो सबसे पहली बात कही गई है वह है **'हम भारत के लोग'**। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ है कि सरकार की वास्तविक शक्तियां जनता में निहित होती हैं, जिसे वह अपने मताधिकार के बल पर, अपने प्रतिनिधि चुनकर प्राप्त करती है। प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता द्वारा शासन चलाया जाता है।

संविधान की प्रस्तावना में भारत को जनतांत्रिक गणतंत्र भी कहा गया है। जनतंत्र का अर्थ है कि जनता अपना शासन स्वयं चलाती है तथा इसके लिए सरकार गठित करने तथा प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए समय-समय पर चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव एक निष्पक्ष चुनावतंत्र (जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है)के द्वारा वयस्क मताधिकार प्रणाली के अंतर्गत संपन्न कराए जाते हैं। इस प्रकार, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार बनाने एवं चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि 'भारत एक प्रतिनिधिक जनतंत्र' है। गणतंत्र के बारे में यह कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है, तथा इसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष की भांति पैतृक पद नहीं होता बल्कि वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है।

इस पाठ में आप जनतंत्र में वयस्क मताधिकार के महत्व, इसकी विभिन्न विधियाँ तथा भारत में चुनाव एवं प्रतिनिधिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- जनतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या कर सकेंगे;
- प्रतिनिधित्व की विभिन्न प्रणालियों की व्याख्या कर सकेंगे;
- विश्व के विभिन्न राज्यों में मताधिकार की निर्धारित आयु के बारे में जान पाएंगे; तथा
- यह विश्लेषण कर सकेंगे कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

टिप्पणी

17.1 वयस्क मताधिकार का अर्थ व महत्व

जनता द्वारा वोट डालने तथा अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार को वयस्क मताधिकार कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में 'ऐडल्ट फ्रेंचाइज' कहा जाता है। 'फ्रेंचाइज' शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के 'फ्रेंक' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है **स्वतंत्र**। इस तरह मताधिकार का अर्थ स्वतंत्रतापूर्वक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना है। यही नहीं, राजनैतिक समानता जनतंत्र का मूल सिद्धांत है। इसके लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक

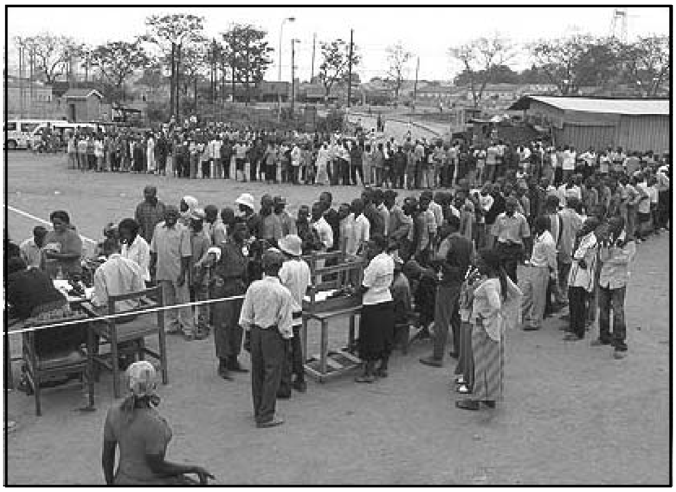

मत डालने के लिए पंक्ति में प्रतीक्षा करते लोग

व्यक्ति के मत को समान महत्व प्रदान किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को उसके किसी विशेष समुदाय से संबंधित होने के नाते उसे मताधिकार से वंचित किया जाता है तो उसके समानता के अधिकार का हनन होगा। दूसरे शब्दों में, जनतंत्र की आत्मा तभी सुरक्षित रह सकती है जब तक कि जनता को बिना किसी भेदभाव (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक) के वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो।

नागरिकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करने की प्रणाली को चुनाव कहा जाता है। प्रतिनिधियों के चुनाव के संबंध में यह भी विधान है कि संसद तथा विधान मंडलों के प्रतिनिधियों की चुनाव प्रक्रिया एक निश्चित समय तक ही लागू रहती है जिसके द्वारा जनता की शक्तियों के महत्व तथा नीतियों के निर्धारण में उसकी हिस्सेदारी बनाए रखने की कोशिश की गई है।

17.2 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि हर वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्रदान करना। इस प्रणाली के अधीन एक निर्धारित आयु के पश्चात व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वयस्क मताधिकार ने धीरे-धीरे स्वत: एक सामूहिक कानून का रूप ले लिया है। शुरू में वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त था जिनके पास या तो अचल संपत्ति हुआ करती थी अथवा जो सरकार को कर देते थे। कुछ देशों में तो सिर्फ पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार प्राप्त था। इसके विपरीत, अब सभी वयस्क व्यक्तियों को संपत्ति अथवा शिक्षा के आधार पर किसी भेदभाव के बिना वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसे मानवीय अधिकार कहा गया है। काफी समय तक, यहां तक कि विकसित देशों में भी, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। बीसवीं सदी के दूसरे दशक तक किसी भी देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू नहीं किया गया था।

सबसे पहले जर्मनी में 1919 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को लागू किया गया। 1918 में ब्रिटेन में कुछ सीमित महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। धीरे-धीरे 21 वर्ष से ऊपर के

पुरुषों तथा तीस वर्ष से ऊपर की स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु 1928 में इस भेदभाव को सुधारा गया। 1936 में सोवियत संघ ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को लागू किया। किंतु यह आश्चर्य की बात है कि लगातार उदारता तथा बराबरी के नारे लगाने वाला फ्रांस 1945 तक अपने नागरिकों के लिए वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का विरोध करता रहा और इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि स्विटजरलैंड जैसे प्रत्यक्ष जनतंत्र वाले देश में भी महिलाओं के वोट के अधिकार को लेकर 1979 तक गतिरोध बना रहा।

इन सबकी तुलना में भारत में 1950 में, जब संविधान लागू किया गया तभी से वयस्क मताधिकार व्यवहार में अपनाया गया।

मताधिकार की आयु

अलग-अलग देशों में वोट डालने की अलग-अलग आयु निर्धारित की गई है। डेनमार्क तथा जापान में 25 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति ही वोट डाल सकता है, जबकि नार्वे में यह आयु 23 वर्ष है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका तथा सोवियत संघ में यह आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

हमारे देश में भी अब वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। इस प्रकार वे सभी स्त्री-पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष है, बिना किसी भेदभाव के वोट डालने के अधिकारी हैं। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है:

- वह भारत का नागरिक हो,
- वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
- वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो,
- वह व्यक्ति, जिसे न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो।

पाठगत प्रश्न 17.1

1. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि वोट का अधिकार:

   (क) सभी वयस्क महिलाओं तथा पुरुषों को है;

   (ख) केवल पुरुषों को है;

   (ग) केवल महिलाओं को है;

   (घ) अवयस्कों को है।

2. निम्न में से किसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है?

   (क) अवयवस्कों को;

   (ख) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को;

   (ग) पागल अथवा दिवालिए को;

   (घ) उपरोक्त सभी को।

3. भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है?

   (क) 16 वर्ष

   (ख) 18 वर्ष

(ग) 21 वर्ष

(घ) 25 वर्ष

4. स्विटजरलैंड ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस वर्ष लागू किया?

क) 1914

ख) 1945

ग) 1928

घ) 1971

17.3 प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को उनके राज्य के शासन में शामिल होने का अवसर देता है। वे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो इन लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। प्रतिनिधियों के चुनाव के दो मुख्य प्रकार हैं: क्षेत्रीय और कार्यकारी प्रतिनिधित्व।

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधि चुनने का यह सबसे लोकप्रिय तरीका है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मत डालते हैं। निर्वाचन के लिए सम्पूर्ण देश को क्षेत्रीय इकाइयों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। संपूर्ण जनसंख्या को निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा जाता है जिनमें लगभग बराबर मतदाता होते हैं।

कार्यकारी प्रतिनिधित्व

कार्यकारी प्रतिनिधित्व का अर्थ है विभिन्न व्यावसायिक समूहों के प्रतिनिधियों का चुनाव जैसा कि औद्योगिक कर्मचारी, व्यापार जगत, वकील, अध्यापक, ट्रांसपोर्टर आदि। इस प्रकार वर्ग विशेष से संबंधित लोगों की अलग-अलग विविध इकाइयां बनाई जाती हैं। उदाहरणार्थ, अध्यापकों का एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है जो अपना प्रतिनिधि चुनते हों।

निर्वाचन क्षेत्र को व्यवसाय और कार्य के आधार पर वर्गीकृत करके उनसे उनका प्रतिनिधि चुनने को कहा जाता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तरह यह निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर नहीं बल्कि उनके व्यवसाय पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा विभिन्न व्यावसायिक समूहों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं का वह समूह है जो प्रतिनिधि को चुनता है। यह समूह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। लोक सभा तथा राज्य सभा के चुनावों में उन्हीं क्षेत्रों के मतदाता शामिल होते हैं। परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों और विधान सभा में सदस्यों के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। एक सदस्यीय या बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी हो सकते हैं।

एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र: जब किसी निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक सदस्य का चुनाव किया जाए तो उसे एक सदस्यीय कहते हैं। लोक सभा चुनावों में संपूर्ण भारत को 543 इकाइयों में बांटा जाता है। इन 543 क्षेत्रों में से प्रत्येक राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेशों में निश्चित इकाइयाँ होती हैं। एक सदस्यीय विधायी इकाई की प्रणाली को भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, रुस, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और पाकिस्तान में अपनाया गया है।

बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र: इस प्रणाली को सामान्य टिकट प्रणाली भी कहते हैं। जब किसी निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक सदस्य चुने जाते हैं उसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार की प्रणाली स्विटजरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और इटली में हैं। इस प्रणाली में संपूर्ण देश को विशाल निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और प्रत्येक इकाई से कई प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। राजनैतिक दलों को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त मतों के आधार पर सीटें मिलती हैं।

टिप्पणी

बहुसदस्यीय प्रणाली में आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाता है। निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी को निर्धारित मत प्राप्त करने होते हैं। मतदाताओं को उनके क्षेत्र से चुने जाने वाले सभी प्रत्याशियों के लिए मत देने होते हैं। प्रत्याशियों के नाम के आगे वे अपना मत अंकित करते हैं। इस तरीके का व्यापक अध्ययन आप आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले अध्याय में करेंगे। इस प्रकार किसी देश में प्रचलित निर्वाचित प्रणाली के अनुसार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अब हम निर्वाचन संबंधी मुख्य प्रणालियों का अध्ययन करेंगे।

सामान्य बहुमत प्रणाली: सामान्य बहुमत प्रणाली के अंतर्गत किसी एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जाता है। कई बार इस प्रणाली में बहु-कोणीय मुकाबला हो जाता है यदि प्रत्याशी एक से अधिक हों तो। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहां चार, पांच या उससे भी अधिक प्रत्याशी होते हैं। इस स्थिति में संपूर्ण मतों के 50 प्रतिशत से भी कम मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी होता है। भारत में आम चुनाव में ऐसा ही देखने को मिलता है। सामान्य बहुमत प्रणाली ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और अन्य कुछ देशों में प्रचलित है। इस प्रणाली को 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम' भी कहते हैं। हमारी लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य इसी प्रणाली से चुने जाते हैं।

17.5 आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के तहत लगभग सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को चुने जाने का प्रयास किया जाता है ताकि कम से कम हर वर्ग की समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित होता रहे। इस प्रणाली में कोई भी समूह चाहे वह राजनीतिक दल हो या फिर हित समूह अपने मतदाताओं की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधि निर्वाचित करवा सकता है।

जे.एस. मिल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एक महान समर्थक रहे हैं। उनके शब्दों में, ''किसी भी वास्तविक लोकतंत्र जिसमें समानता पर बल दिया जाता है; किसी भी अथवा प्रत्येक वर्ग को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जिस वर्ग को मतदाताओं का बहुमत प्राप्त होगा उसके बहुसंख्यक प्रतिनिधि चुने जाएंगे लेकिन जहां अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं की संख्या कम होती है वहाँ उनके प्रतिनिधि भी कम ही होंगे।'' दूसरे शब्दों में इस निर्वाचन व्यवस्था में प्रत्येक राजनैतिक दल को उतनी ही सीटें मिलती हैं जिस अनुपात में उसे मत प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य बहुमत व्यवस्था में यह कई बार देखा गया है कि एक दल को विधानमंडल में सीटें तो अधिक प्राप्त हो जाती हैं लेकिन उसे प्राप्त मतों का प्रतिशत कम मिला होता है क्योंकि वहां 50 प्रतिशत से कम वोट पाने वाला भी निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

कभी-कभी सामान्य बहुमत प्रणाली में ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक विधान सभा क्षेत्र में किसी पार्टी को सीटें तो बहुत मिल जाती हैं किंतु उसके वोटों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम होता है, यहां तक कि 50 प्रतिशत से भी कम प्राप्त मतों के बावजूद भी वह पार्टी सीट जीत जाती है। 1971 के लोक सभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कुल 46 प्रतिशत वोट ही मिले थे जबकि उसे 522 में से 351 सीटें प्राप्त हुई थीं। यह वोटों का प्रतिशत तो 50 प्रतिशत से भी कम था, जबकि सीटें 66 प्रतिशत मिल गई थीं। इस कमी को आनुपातिक चुनाव प्रणाली द्वारा सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व दो प्रकार का होता है:

1. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली

इसे 'हेयर सिस्टम' अथवा 'आंद्रे योजना' के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत एक मतदाता केवल एक ही मत देने का अधिकारी होता है किंतु यदि वह चाहे तो अपने इस वोट को किसी दूसरे प्रत्याशी को भी बदल कर दे सकता है। इसके लिए उसे मतपत्र पर अपनी वरीयता दर्ज करनी पड़ती है। यह प्रणाली निम्न विधि द्वारा कार्य करती है:

(क) इस प्रणाली में तीन अथवा उससे अधिक प्रत्याशियों का होना आवश्यक होता है।

(ख) एक मतदाता वरीयता क्रम में एक ही वोट को कई प्रत्याशियों को दे सकता है। किंतु इसके लिए उसे मतपत्र पर 1, 2, 3, अथवा इससे आगे तक अपनी इच्छानुसार वरीयता निर्धारित करनी होती है।

(ग) मतदाता अपनी सभी वरीयताएं एक ही प्रत्याशी के आगे नहीं लिख सकता।

(घ) वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आने वाले प्रत्याशी को ही उसका वोट मिलता है किंतु यदि किसी स्थिति में दो प्रत्याशी बराबर मत प्राप्त कर लेते हैं तब ऐसी स्थिति में प्रत्याशियों का कोटा निर्धारित किया जाता है तथा उस कोटे के आधार पर जिसकी वरीयता पहले आती है उसे वह वोट मिल जाता है। कोटा निम्नलिखित सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है:

$$\text{कोटा} = \frac{\text{डाले गए कुल मतों की संख्या}}{\text{कुल सीटों की संख्या } + 1} + 1$$

मान लीजिए किसी चुनाव में कुल प्रत्याशियों की संख्या तीन है तथा कुल डाले गए मतों की संख्या 20,000 है, तो कोटा होगा:

$$\frac{20,000}{3+1} + 1 = 5001$$

कभी-कभी यदि कोई प्रत्याशी उस कोटे तक नहीं पहुंच पाता तो उस सीट को खाली ही छोड़ दिया जाता है। चुनाव की यह प्रणाली राज्य सभा के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए अपनाई जाती है। यही प्रणाली भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाई जाती है।

2. सीमित मत व्यवस्था

यह व्यवस्था आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक अन्य पद्धति है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र आते हैं जिसमें कम से कम तीन प्रत्याशी होते हैं तथा एक मतदाता एक प्रत्याशी को एक वोट दे सकता है। इसके बाद हर मतदाता के सीटों के अनुसार वोट घटते जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी निर्वाचित क्षेत्र में 4 सदस्यों को चुना जाना है तो ऐसे में मतदाता चाहे तो दो या तीन प्रत्याशियों को अपना वोट दे सकता है किंतु वह अपने पांचों वोट सिर्फ एक ही प्रत्याशी को नहीं दे सकता। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग से कम से कम एक प्रत्याशी का स्थान सुरक्षित बनाया जा सके। इस तरह उन पांच में से कम से कम एक सीट तो अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित हो ही जाती है। इस प्रणाली के अधीन यदि एक सीट के लिए दो सदस्य चुनाव लड़ रहे हों तो उसमें जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। किंतु यदि दो से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हों और उसमें से किसी ने भी बहुमत प्राप्त नहीं किया हो तो उस चुनाव को पुन: कराया जाता है जो कि द्वितीय मतपत्र प्रणाली के द्वारा कराया जाता है। इसका अर्थ यह है कि चुनाव के कुछ ही दिनों बाद मतदाताओं को पुन: वोट डालना पड़ता है।

17.6 अन्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणालियाँ

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त विधानमण्डलों में अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कुछ अन्य तरीके भी ढूंढ़ निकाले गए हैं। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की ये प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं:

1. बहुसंख्यक मत प्रणाली

इस प्रणाली में मतदाता उतने मत देने का अधिकार रखता है जितनी निर्वाचन क्षेत्र में सीटें निर्धारित होती हैं। इस प्रणाली में मतदाताओं के पास विकल्प होते हैं। कोई भी महिला अथवा पुरुष मतदाता अपने सभी मत प्रत्याशियों में बाँट सकता है या फिर सारे के सारे मत एक ही प्रत्याशी को दे सकता है।

उदाहरण के लिए यदि एक निर्वाचन क्षेत्र से पांच सदस्य चुने जाते हैं तो मतदाता अपने पांच मत पांच प्रत्याशियों में बांट सकता है या फिर पांच मत एक ही प्रत्याशी को दे सकता है। इस प्रकार इस प्रणाली

में एक सुसंगठित अल्पसंख्यक समूह अपने मतदाताओं में ग्राम सहमति बनाकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में सारे मत दिलवा कर उसे जितवा सकता है।

2. सीमित मत प्रणाली

यह प्रणाली उन निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां तीन या तीन से अधिक सदस्यों का चुनाव होना है। इसमें एक मतदाता एक से अधिक प्रत्याशियों को मत दे सकता है, परंतु सभी प्रत्याशियों को नहीं। इसलिए इसे सीमित मत प्रणाली कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 6 सीटें हैं तो प्रत्येक मतदाता चार प्रत्याशियों को मत दे सकता है न कि किसी एक प्रत्याशी को सारे मत।

17.7 पुनः मतदान प्रणाली

चुनावों में यदि किसी सीट के लिए दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हों तो स्पष्ट बहुमत (50 प्रतिशत +1) प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी होता है। परंतु दो से अधिक प्रत्याशी होने पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत न मिले। इस स्थिति में, पुनः मतदान कराया जाता है। इस पुनः मतदान में अधिकतम मत प्राप्त करने वाले दो प्रत्याशियों के लिए मतदान किया जाता है। मतदान के बाद 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी होता हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी विधान सभा सीट पर तीन प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हों तथा कुल 12000 वोट डाले जाने है, प्रत्याशी A को 5000 वोट, B को 4000 तथा प्रत्याशी C को 3000 वोट मिले हैं तो इस स्थिति में किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत अर्थात् 6001 वोट नहीं मिलता है। अतः पुनः मतदान आवश्यक हो जाता है। प्रत्याशी C जिसे सबसे कम वोट मिले हैं को अलग करके प्रत्याशियों A और B के लिए मतदान कराया जाता है। यदि पुनः मतदान में B को अधिक मत मिलते हैं तो वह विजयी होता है। यह प्रणाली फ्रांस में राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन के लिए प्रयुक्त की जाती है।

पाठगत प्रश्न 17.2

रिक्त स्थानों को भरिए

(क) फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को .... के नाम से जाना जाता है।

(ख) बहुसदस्यीय प्रणाली को .... प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है।

(ग) भारत में .... प्रणाली द्वारा लोक सभा और राज्य सभा के चुनाव होते हैं।

(घ) आनुपातिक प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने के तरीके .... और .... हैं।

(ङ) अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने की निर्वाचन पद्धति .... और .... हैं।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने पढ़ा कि वयस्क मताधिकार प्रणाली प्रतिनिधिक लोकतंत्र पर आधारित होती है। इसका अर्थ होता है कि देश का हर नागरिक जो कि एक निर्धारित आयु (18 वर्ष) पूरी कर चुका होता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, किसी जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय अथवा भाषा के भेदभाव के बिना वोट डालने का अधिकारी होती है। चुनावो के द्वारा प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। नागरिकों के स्वतंत्र तथा समान वोटों के द्वारा एक संप्रभु लोकतंत्र की स्थापना होती है।

आपने यह भी पढ़ा है कि क्षेत्रीय तथा व्यावसायिक दो प्रकार के प्रतिनिधित्व होते हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के अधीन देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तथा वहां के मतदाता अपना प्रतिनिधि

चुनते हैं। क्षेत्रीय चुनाव प्रक्रिया भारत में बहुत प्रचलित है और यहां पर लोक सभा तथा विधान सभाओं के चुनाव इसी प्रक्रिया के अंतर्गत कराए जाते हैं। व्यावसायिक चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न व्यवसायों से संबंधित व्यक्ति व्यावसायिक आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं।

प्राय: एकल प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य बहुमत द्वारा प्रत्याशियों को विजयी घोषित किया जाता है। इसके तहत सर्वाधिक मत प्राप्त प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाता है। किंतु इससे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि इसके द्वारा सभी वर्गों से प्रतिनिधि चुन लिए गए हैं। इसके लिए बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यकों को उनके वोटों के प्रतिशत के आधार पर विभाजित कर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व नामक एक दूसरी प्रणाली भी है जिसका अर्थ होता है अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों का चुना जाना न कि उनके वोटों के प्रतिशत के अनुपात में प्रतिनिधियों का चुना जाना।

संविधान में चुनाव संपन्न कराए जाने के लिए एक निष्पक्ष चुनाव आयोग की व्यवस्था है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा एक अथवा एक से अधिक चुनाव आयुक्त होते हैं।

पाठांत प्रश्न

1. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए।
2. सामान्य बहुमत प्रणाली की व्याख्या कीजिए।
3. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्याख्या कीजिए। इसे निर्धारित करने के दो तरीकों का उल्लेख कीजिए।
4. आनुपातिक प्रतिनिधित्व से अलग अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करने के किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

17.1

1. (क)
2. (घ)
3. (ख)
4. (घ)

17.2

(क) सामान्य बहुमत प्रणाली

(ख) सामान्य टिकट प्रणाली

(ग) क्षेत्रीय

(घ) एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली

(ङ) मत प्रणाली और सीमित मत प्रणाली

पाठांत प्रश्नों के लिए संकेत

1. खण्ड 17.1 देखें
2. खण्ड 17.4 देखें
3. खण्ड 17.5 देखें
4. खण्ड 17.6 देखें

आइए किशोरावस्था के मुद्दों पर विचार करें

वयस्क होने से पूर्व मानव शरीर में होने वाले परिवर्तन के कारण क्या हैं?

ये परिवर्तन मानवीय शरीर में पाये जाने वाले हार्मोन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन के कारण होते हैं। लड़के एवं लड़कियाँ, दोनों में हार्मोन होते हैं। लेकिन दोनों में हार्मोन अलग-अलग मात्रा में एवं अलग प्रकार के होते हैं। इसी कारण कुछ परिवर्तन लड़के और लड़कियों में अलग-अलग प्रकार के होते हैं।